श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज

राजकीय महाविद्यालय

पलियाकलाँ, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०)

विवरणिका - 2021-23

परिचय

उ0प्र0 की उत्तरी सीमा पर पडोसी मित्र राष्ट्र नेपाल की सीमा पर तराई अंचल की अत्यन्त उर्वरा, शस्य, श्यामला भूमि पर विश्व प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के सन्निकट स्थित श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय **पलियाकलां**, (लखीमपुर खीरी) उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। उत्तर प्रदेश शासन **द्वारा 10 अक्टूबर सन् 2000 ई0** को इस महाविद्यालय की स्थापना की गयी। तब से निरन्तर यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ऊँचाईयों की ओर अग्रसर है। महामहिम **राज्यपाल** (कुलाधिपति) द्वारा दिनाँक 20 जुलाई 2006 को पत्रांक सं0 ई0 सं0 962/जी0एम0/द्वारा कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान विषयों में तथा **वाणिज्य संकाय में** बी0काम0 विषयों में सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गयी।

- ★ **महाविद्यालय को ~~छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर~~ से स्थायी रुप से सम्बद्धता प्राप्त है।**
- ★ वर्तमान सत्रः 2021–22 से यह महाविद्यालय शासकीय निर्देशानुसार लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध होकर बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.काम. **प्रथम वर्ष** की प्रवेश प्रक्रिया ~~उक्त वि.वि. की सम्बद्धता में ही~~ संचालित होगी।
- ★ महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की धारा 1 2 (ए) एवं 2 (एफ) में सम्मिलित है।
- ★ महाविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन के नियमों के अधीन संचालित है तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।
- ★ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (**RUSA**) के अन्तर्गत महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाओं हेतु भवन निर्मित है। शासकीय निर्देशानुसार कक्षायें शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

डा. सूर्यप्रकाश शुक्ल

प्राचार्य

संकाय एवं पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में दो संकाय कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है। सत्र 2021–22 हेतु महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा पूर्व मानकों के अनुरूप कला संकाय में स्नातक के लिए कुल 420 सीटें प्रवेश स्वीकृत है।

कला संकाय

1. कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक उपाधि हेतु छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों को चुनने का विकल्प होगा–

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. संस्कृत
4. समाजशास्त्र
5. गृह विज्ञान,
6. भूगोल
7. इतिहास

- बी0ए0 प्रथम वर्ष में तीन विषयों का नियमानुसार चयन किया जा सकता है।
- बी0ए0 द्वितीय वर्ष में विषय में परिवर्तन नहीं होगा।
- बी0ए0 तृतीय वर्ष में केवल पूर्व पठित विषयों का चयन किया जा सकता है।
- बी0ए0 प्रथम वर्ष में चयनित विषयों में परिवर्तन नहीं होगा।
- बी0 ए0 प्रथम वर्ष के छात्र / छात्राओं के लिए पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय होगा।

वाणिज्य संकाय

- वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी0काम0 की कक्षायें संचालित हैं।
- बी0काम0 प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए पर्यावरण अध्ययन, अनिवार्य विषय होगा।

प्रवेश सम्बन्धी निर्देश

प्रवेश योग्यतायें-बी0ए0/बी0काम प्रथम वर्ष हेतु

- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से इण्टरमीडिएट की परीक्षा कला वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ तथा वाणिज्य वर्ग हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियो को शासन के नियमानुसार अंको की छूट प्रदान की जायेगी।
- बी0ए0/बी0काम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष का अन्तराल (गैप) नियमानुसार अनुमान्य होगा।
- बी0ए0/बी0काम प्रथम वर्ष में महाविद्यालय के नियमानुसार योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- उत्तमा, मध्यमा, शास्त्री उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, पंजाब स्कूल आफ एजूकेशन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एवं गुरुकुल बृन्दावन विश्वविद्यालय मथुरा द्वारा उत्तीर्ण विद्यार्थी स्नातक प्रथम वर्ष में हेतु अर्ह नहीं होगें।
- वि0वि0 द्वारा निर्धारित एवं मान्य बोर्ड द्वारा इण्टरमीडिएट व उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश अनुमान्य होगा, यदि वि0वि0 द्वारा कोई प्रवेश इस आधार पर निरस्त कियाा जाता है, तो उसके लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को बी0ए0/बी0काम प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय प्रवजन (माइग्रेशन) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इस कृत्य में किसी छात्र के संलिप्त होने पर उसे महाविद्यालय से तत्काल निलंबित कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बी0ए0/बी0काम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु

- पूर्व परीक्षा संस्थागत/भूतपूर्व छात्र / छात्रा के रुप में उत्तीर्ण करने के उपरांत अभ्यार्थी बी0ए0 / बी0काम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न

बी0ए0/बी0काम प्रथम वर्ष हेतु–

- हाईस्कूल परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित छायाप्रति।
- हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र (सनद) की छायाप्रति।
- इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित छायाप्रति।
- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र (सनद) की छायाप्रति।
- चरित्र प्रमाण पत्र (सी0सी0) मूल रुप में (अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा जारी)।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) मूल रुप में (अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा जारी)।
- आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- रैगिंग प्रपत्र पूर्ण रुप से भरें व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- नवीनतम फोटो दो प्रति।
- आधार कार्ड की छायाप्रति ।
- अपूर्ण भरे व साथ जमा करने वाले प्रपत्रों के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- जनपद के बाहर के छात्रों की टी0सी0 पर काउण्टर हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

बी0ए0/बी0काम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु–

- हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र (सनद) की छायाप्रति।
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित छायाप्रति।
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के प्रवेश रसीद की छायाप्रति।
- नवीनतम फोटो दो प्रति।
- आधार कार्ड की छायाप्रति ।

आरक्षण

प्रवेश हेतु उ0प्र0 शासन के नियमानुसार निम्नवत् आरक्षण प्रदान किये जायेगे–

(क) उर्ध्व आरक्षण

1. अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2.अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत

(ख) क्षैतिज आरक्षण

1. दिव्यांगजन	3 प्रतिशत
2.स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	2 प्रतिशत
3.पूर्व सैनिक पाल्य	2 प्रतिशत

भारांक :-

1. राष्ट्र/राज्य/विश्वविद्यालय के खिलाड़ी –	5/3/2 अंक
2. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारक –	5 अंक
3. एन0सी0सी0–बी0 प्रमाण पत्र –	3 अंक
4. स्काउट एण्ड गाइड : रोवर्स–रेंजर्स	
1. 'प्रवेश' प्रमाण पत्र धारक–	2 अंक
2. 'निपुण' प्रमाण पत्र धारक–	3 अंक
3. राष्ट्रपति/राज्यपाल प्रशंसित/पुरस्कृत –	5 अंक
5. राष्ट्रीय सेवा योजना –	
1. दो वर्ष की सदस्यता एवं एक 07 दिवसीय शिविर :	3 अंक
2. दो वर्ष की सदस्यता एवं दो 07 दिवसीय शिविर :	5 अंक

नोट :–

- किसी भी प्रवेशार्थी को अधिकतम भारांक केवल 5 अंक ही देय होगा।
- आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए न्यूनतम अर्हता धारित प्रवेशार्थियों की योग्यता (मेरिट) सूची चयन का आधार होगी।
- योग्यता सूची महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की दी जायेगी।

परिचय पत्र :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त छात्र/छात्राओं को एक सप्ताह के अन्दर परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। परिचय पत्र खो जाना की दशा में लिखित आवेदन देने एवं 50.00 रु0 कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा।

टी0सी0 एवं सी0सी0–

महाविद्यालय में जुलाई माह में स्थानान्तरण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं जिसके लिए एक आवेदन पत्र कार्यालय मे जमा करना होगा। आवेदन पत्र में संलग्न करने होंगे– अ– हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

ब–अंतिम परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।

स–बी0ए0 / बी0काम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के अंक पत्र की छायाप्रति।

पूर्ण रुप से भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करने के दो दिन पश्चात् स्थानान्तरण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा सकेगें।

यूनीफार्म–

महाविद्यालय में छात्र / छात्राओं को यूनीफार्म में आना अनिवार्य है, यूनीफार्म में न आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

छात्रा हेतु बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं बी0 काम प्रथम वर्ष –

कुर्ता–गुलाबी , सलवार–सफेद, दुपट्टा–सफेद, स्वेटर–काला, जूते–काले

छात्र हेतु–

कमीज–सफेद, पैन्ट–काला, स्वेटर–काला, जूते–काले

एण्टी रैगिंग सेल :-

महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया वर्जित है। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

पुस्तकालय एवं वाचनालय –

महाविद्यालय के पास समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें सन्दर्भ ग्रन्थों, शब्द कोशों एवं आधुनिक पुस्तकों का संग्रह है। पुस्तकालय के रुसा द्वारा ई–लाइब्रेरी के रुप में परिवर्तित किया गया है। पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु पुस्कालय कार्ड निर्गत किया जाता है। वार्षिक परीक्षा से पूर्व पुस्तकें वापस कर पुस्तकालय से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। पुस्तक खो जाने पर उसका मूल्य जमा करना अनिवार्य है। पुस्तकालय के साथ ही साथ महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ हिन्दी, अंग्रेजी के कई समाचार–पत्र, प्रतियोगी, साहित्यिक, विज्ञान, स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान तथा महिलापयोगी पत्रिकायें नियमित रूप से मँगाई जाती हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकायें वाचनालय कक्ष से बाहर ले जाना वर्जित है।

विद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ण-

महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं को उ0प्र0 शासन द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित नियम तथा प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन आनलाइन कराने के पश्चात महाविद्यालय कार्यालय में छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु दो प्रतियों में पूर्ण रुप भरे हुए आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

- अंतिम तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा का होगा।
- छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र / छात्रा को किसी भी बैंक में अपना एकल खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में संयुक्त बैंक खाता अथवा किसी अन्य बैंक का खाता सं0 मान्य नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र पर बैंक खाता सं0 न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।
- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करते समय बैंक पासबुक की जाँच करनी होगी।
- छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र मूल रुप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले प्रमाण पत्रों की सूची-

क– निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ।

ख– जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित चार प्रतियाँ।

ग– आय प्रमाण पत्र मूल रुप से व सत्यापित छायाप्रति।

घ– हाईस्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

च–अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की छायाप्रति।

छ– प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति।

ज– नवीनतम फोटो चार।

झ– बैंक पासबुक के खाता संख्या पृष्ठ की छायाप्रति।

ञ– आधार कार्ड की छाया प्रति।

शासन के अनुसार उपरोक्त व्यवस्था में परिवर्तन सम्भव है। अतः महाविद्यालय का सूचना पट्ट नवीनतम सूचना हेतु देखना आवश्यक है।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला :-

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर की प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से एक कम्प्यूटर कक्ष है जहाँ एक साथ 20 छात्र/छात्रायें कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय ही आधुनिक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के युग में यह सुविधा महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी तथा महाविद्यालय के युवा वर्ग को रोजगार का अवसर प्रदान करने में सहायक होगी।

सी.सी. टी.वी. एवं स्मार्ट कक्ष :-

छात्र/छात्राओं की सुरक्षा की ध्यान में रखते हुए । महाविद्यालय परिसर कक्षाओं में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगवाये गये है साथ ही व्याख्यान कक्षों को स्मार्ट क्लास का रुप प्रदान किया गया है।

पर्यावरण क्लब–

पर्यावरण, वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं के संरक्षण एवं संर्वधन सम्बन्धी जागरूकता के प्रसार में छात्र–छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है। यह क्लब विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधों को लगाने एवं महाविद्यालय प्रांगण के सौन्दर्यीकरण के लिये कार्य करता है।

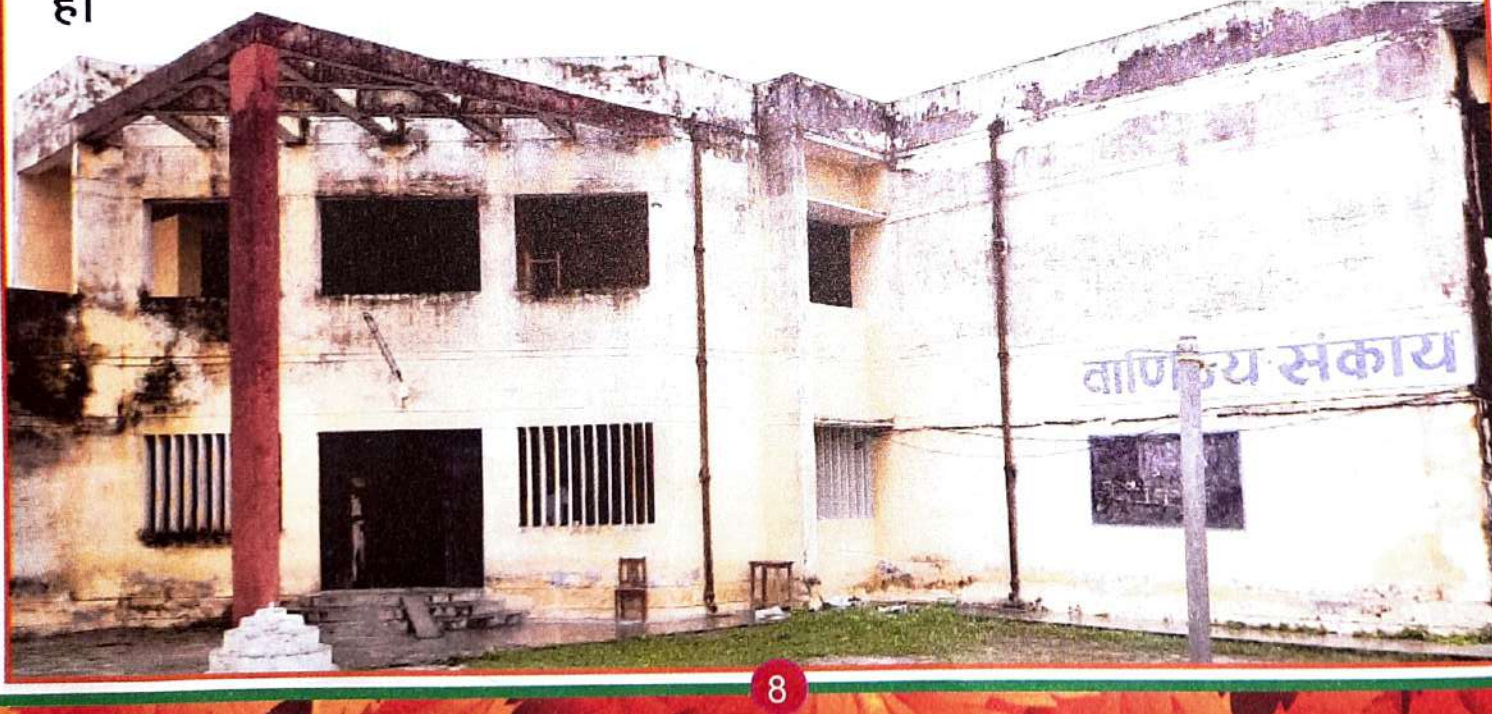

विभागीय परिषद-

महाविद्यालय में कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के सभी विषयों की विभागीय परिषदें गठित की जाती हैं, जिनके तत्वाधान में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास हेतु विभित्र प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है। विभागीय परिषद में परिषद प्रभारी के अतिरिक्त सभी छात्र/छात्रओं का प्रतिनिधित्व होता है, जिनका चयन गत परीक्षा में उस विषय में प्राप्त सर्वोच्च अंको के आधार पर किया जाता है।

सांस्कृतिक परिषद-

महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत वर्ष भर विभिन्न दिवसों व उत्सवों पर सांस्कृतिक गतिविधियों एवं निबन्ध व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

रोवर्स एवं रेंजर्स :-

भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन में रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम के अधीन छात्र/छात्राओं को साहसिक एवं सामाजिक अभियानों का प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण के तीन स्तर होते है। प्रवेश,प्रवीण, निपुण। छात्र/छात्रायें प्रत्येक वर्ष 01 स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तीनों शिवरों में सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर छात्र/छात्रायें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये प्रयास कर सकते हैं।

क्रीड़ा परिषद :-

युवा वर्ग के सौष्ठव, व्यक्तित्व विकास एवं नियमित स्वास्थ्य चर्चा का विकास करने तथा समाजिक समरसता, सदभावना जगाने के लिये महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद के अन्तर्गत खेल–कूद सम्बन्धी क्रिया–कलाप तथा विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का अयोजन किया जाताा है। महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु अपना विशाल प्रांगण है और इसका पृथक् विभाग है, जो पूरे वर्ष क्रीड़ा से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर सुलभ कराया जाता है। महाविद्यालय के प्रत्येक सत्र में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत करता है।

कैरियर काउन्सिलिंग प्रकोष्ठ :-

विकास एवं प्रतिस्पर्धा के इस युग में छात्र/छात्राओं के बेहतर भविष्य निर्माण में मार्गदर्शन हेतु वरिष्ठ प्राध्यापकों के नेतृत्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश के अनुरूप स्टूडेन्ट कैरियर काउन्सिलिंग का आयोजन कराया जाता है, जिसमें साक्षात्कार, समूह चर्चा, प्रबन्धन,वाकपटुता, समय नियोजन आदि के गुरू मंत्र विद्यार्थियों को प्रदान किये जाते हैं। प्रकोष्ठ के द्वारा समय–समय पर रिक्त पदों की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगायी जाती है। उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा एक नोडल केन्द्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने

महिला प्रकोष्ठ :-

छात्राओं के मार्ग दर्शन एवं समतामूलक प्रवृत्तियों के विकास हेतु तथा उनकी समस्याओं के निवारण हेतु महिला प्रकोष्ठ गठित है जिसकी संयोजका महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका होती है। महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। जिसके लिए एक नोडल केन्द्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना हैं।

महाविद्यालय पत्रिका :-

महाविद्यालय के युवा मानस की रचनात्मक व क्रियात्मक प्रतिभा की प्रतिनिधित्व स्वरूप 'शारदा' का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें छात्र/छात्रओं की विविध प्रकार की मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त मार्ग–दर्शन स्वरूप विद्वान शिक्षकों व कर्मचारियों के ललित व अनुसंधानत्मक लेख भी प्रकाशित किये जाते हैं। साथ ही महाविद्यालय की वार्षिक गतिविधियाँ, क्रिया कलापों एवं समारोहों आदि की आख्या भी सचित्र प्रकाशित की जाती है।

अनुशासन सम्बन्धी

1 . महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में ही परिसर में प्रवेश करें। प्रवेश के पश्चात् निर्धारित यूनिफार्म में न आना अनुशासन हीनता मानी जायेगी।

2 . प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन अपना परिचय पत्र साथ लायेगा। प्राचार्य/अनुशासन मण्डल के सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

3 . उ0प्र0 शासन तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के आदेशानुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा की उपस्थिति कक्षा में 75 प्रतिशत होनी अनिवार्य है अन्यथा उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यकमों, समारोहों, जयन्तियों और प्रतियोगिताओं में सकिय सहभागिता के निर्देशों का पालन करते हुए महाविद्यालय में गरिमा युक्त आचरण करें तथा अध्ययनशील रहें।

4 . विद्यार्थी अपने वाहन साईकिल स्टैण्ड पर ही खड़ा करें।

5 . सहपाठियों से अशिष्ट एवं अनुचित व्यवहार तथा संत्रासन (रैगिंग) में पाये जाने पर आरोपित विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

6 . मोटर साईकिल या स्कूटर आदि से आने वाले छात्र/छात्रा ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ लगायें तथा हेलमेट का प्रयोग करें।

7 . महाविद्यालय में व्यर्थ घूमना, बाहरी व्यक्ति को लाना, प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई आयोजन करना प्रतिबन्धित है।

8 . विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन सूचना पट्ट देखें।

9 . महाविद्यालय की शान्ति भंग करना, धूम्रपान करना, नशीले पदार्थों का सेवन, पान मसाला खाना, मोबाईल का प्रयोग करना, शोर मचाना, सीटी बजाना, अस्त्र–शस्त्र लाना, रेडियो, टेप एम0पी0थ्री लाना वर्जित है।

10. महाविद्यालय परिसर भवन एवं दीवारों को गन्दा करना, महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना, कक्षा से कुर्सी निकाल कर बाहर बैठना, व्याख्यान कक्ष को अस्त–व्यस्त करना अनुशासन हीनता मानी जायेगी।

11. महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के साथ दुर्वव्यवहार करना घोर अनुशासनहीनता मानी जायेगी और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उनका निष्कासन भी सम्मिलित है।

महाविद्यालय परिवार

शिक्षक वर्ग-

डॉ० सूर्य प्रकाश शुक्ल (प्रभारी प्राचार्य)	एवं	असि. प्रोफे. – संस्कृत
डॉ0 वसीम खान	–	असि. प्रोफे. – वाणिज्य
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – हिन्दी
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – वाणिज्य
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – अंग्रेजी
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – शारीरिक शिक्षा
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – भूगोल
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – इतिहास
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – गृहविज्ञान
पद रिक्त	–	असि. प्रोफे. – समाजशास्त्र
[redacted]		
पद रिक्त	–	पुस्तकालय अध्यक्ष

कार्यालय

कर्मचारी वर्ग-

श्री विश्राम राना	–	वरिष्ठ सहायक
पद रिक्त	–	कनिष्ठ लिपिक
[redacted] पद रिक्त	–	कार्यालय परिचर
श्री अजय कुमार यादव	–	पुस्तकालय परिचर
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	–	कार्यालय परिचर
श्री अशोक	–	चौकीदार

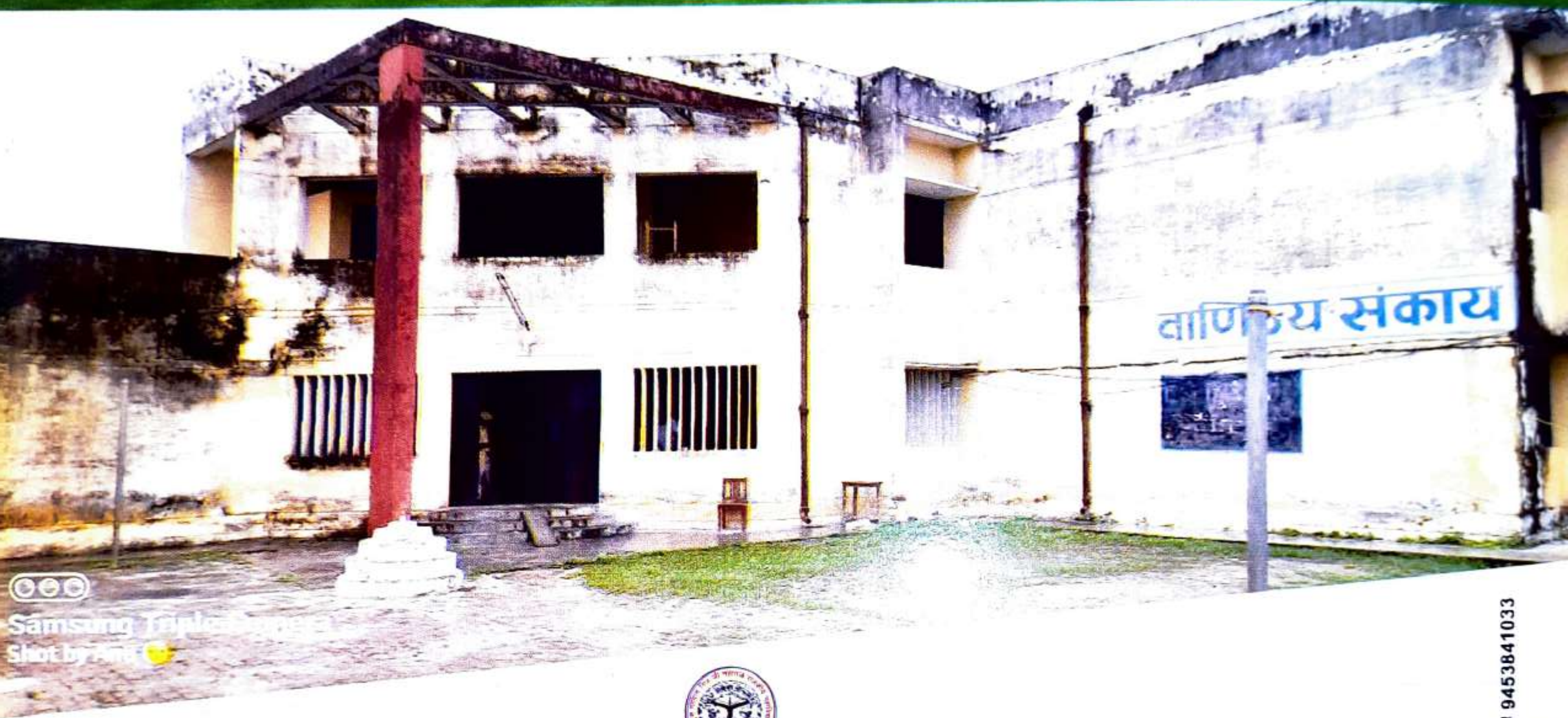

मुद्रक : मीरा प्रिंटिंग प्रेस, ऊँचाहार # 9453841033